राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प , कोलीवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 18/2010
दायरा तिथि 08.04.2010
निर्णय तिथि 02.06.2016

वादीः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

अंशीदेवी पुत्री लच्छाराम पत्नी मदनलाल
जाति माली निवासी सुमेरपुर
तहसील सुमेरपुर

1–अमृतलाल पुत्र लच्छाजी
2–श्रीमती उमीदेवी पत्नि स्व. लच्छीराम
3–बसंत कुमार पुत्र लच्छाजी
4–श्रीमती भंवरी देवी पत्नी चंपालाल
5–श्रीमती कन्यादेवी पत्नी मोहनलाल
6–श्रीमती सुखीदेवी पत्नी चन्दुलाल
निवासी–खन्दरा तह. शिवगंज
7–पुखराज पुत्र समरथाजी, नि. सुमेरपुर
8–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट , 1955

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राठौड, श्री मूलसिंह देवडा व हिम्मतराम सोलंकी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 02.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान व उनके अधिवक्ता तथा तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर उपस्थित। हमने, उभयपक्षीय बहस व दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन एवं परीक्षण किया। वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा जाखोडा , तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1048 रकबा 2.3500 हेक्टर नहरी अव्वल जिसका वार्षिक लगान रूपये 24.68 के बारे में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व कतिपय प्रावधानों के तहत वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणात्मक व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति एवं बंट–हिस्सा मुजब राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का अमल दरामद करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2065–2068 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। कथित मामले मे पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है एवं हमारे विधिक विचारों में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य हिस्सा माफिक बंटवाडा करवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करना उचित होने से वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों की मौजूदगी व आपसी सहमति से तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

(2) कि पत्रावली पर प्रस्तुत सुदा प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे वर्णित तथ्यों पर दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड आदि का भी सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत राजीनामा–प्रपत्र के सलंग्न प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट , नजरी नक्शा एवं उपलब्ध रेकर्ड आदि का मिलान किया। पूर्व मे प्राथमिक डिक्री आज्ञा दिनांक 09.07.2012 को जारी की गई थी। जो रेकर्ड की स्थिति से मिलान होता है। फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के आधार पर एवं तथाकथित राजीनामा की इबारत अनुसार वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार पेज 2............

Scanned by CamScanner

इसलिए हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् माफिक राजीनामा इबारत के अनुसार वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के जरिये राजीनामा स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। साथ ही प्राथमिक डिक्री माफिक प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट पर पक्षकारान सहमत है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के माफिक राजीनामा स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री निर्णय निम्न रूपेण किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार कृषि भूमि खसरा नं. 1048 रकबा 2.3500 हेक्टर नहरी अव्वल जिसका वार्षिक लगान रूपये 24.68 के बतौर खातेदार कृषक होने से राजस्व रेकर्ड मे पृथक–पृथक रूप से अमलदरामद किया जावे तथा राजस्व नक्शें में माफिक नजरी नक्शा के तरमीम किया जावे। आपसी राजीनामा अनुसार कृषि भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार होगा।

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म भूमि
1	उमीदेवी पत्नी लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/6	0.1629	नहरी अव्वल
2	बसंतकुमार पि. लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/7	0.1629	नहरी अव्वल
3	अमृतलाल पि. लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/8	0.1629	नहरी अव्वल
4	सुखीदेवी पुत्री लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/5	0.1629	नहरी अव्वल
5	कन्यादेवी पुत्री लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/4	0.1628	नहरी अव्वल
6	भंवरीदेवी पुत्री लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/3	0.1628	नहरी अव्वल
7	अंशीदेवी पुत्री लच्छाराम जाति माली सा. देह खातेदार	1048/2	0.1628	नहरी अव्वल
8	पुखराज पुत्र समरथा जाति माली सा. देह खातेदार	1048	1.14	नहरी अव्वल
9	उमीदेवी पत्नी लच्छाराम बसंतकुमार, अमृतलाल पि. लच्छाराम, सुखीदेवी, कन्यादेवी, भंवरीदेवी, अंशीदेवी पुत्रीयां लच्छाराम , पुखराज पुत्र समरथा जाति माली, सा. दे. खातेदार	1048/1	0.07	नहरी अव्वल (रास्ता हेतु)

नोट – तस्दीक सुदा मौका कब्जा काश्त का नजरी नक्शा इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग माना जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार पेज 3..............

Scanned by CamScanner

माफिक बंटवाडा निर्णय/डिक्री अनुसार तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का कोलीवाडा राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 02.06.2016 का राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner